No. 17/62/2006-Pers/BSF/ 50976-51275
Government of India
Ministry of Home Affairs
Directorate General, Border Security Force
(Personnel Directorate)

Block No-10, 5th Floor
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi – 110 003

Dated, the 01 Nov , 2010

To

All Frontier HQrs BSF
All Sector HQrs/DIsG ISD
All BNs BSF (THQ/Bn HQ)
All Training Institutions BSF/STCs
CENWOSTO/TSU Tekanpur
SIW/SRO/ATS Tekanpur
Water Wing Bhuj (Guj)/ Madhopur(Pb)
South Bengal (Kolkata) & Dhubri (Assam)

Sub : FORWARDING OF GAZETTE NOTIFICATION OF BORDER SECURITY FORCE, MOTOR TRANSPORT WORKSHOPS, INSPECTOR (TECHNICAL), RECRUITMENT RULES, 2010.

The Gazette Notification of Border Security Force, Motor Transport Workshops, Inspector (Technical), Recruitment Rules, 2010 (GSR-136 dated 11.08.2010) is forwarded herewith for your information and necessary action.

(M.Tripathi)
Dy. Inspector General (Pers)
01 Nov,2010

Distribution :-

1. Spl DG BSF Kolkata & Chandigarh
2. All IsG at FHQ BSF
3. PS to DG BSF/
4. PS to Addl DsG BSF
5. FA BSF HQ
6. Prov Dte/ Engg Cell
7. PAD BSF
8. Law Branch and D&L Branch, FHQ BSF
9. Water Wing/Recruitment Section/Estt Section
10. NGO's Promotion Desk – Pers Section
11. IT Wing FHQ BSF – for placing on the Web Site of the Force.

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 692—699

Dated 21-8-2010

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 136.—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा सुरक्षा बल के मोटर यातायात कर्मशाला में निरीक्षक (तकनीकी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल मोटर यातायात कर्मशाला निरीक्षक (तकनीकी) भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **आरंभिक गठन.**—(1) वे कार्मिक जो इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व, मोटर यातायात कर्मशाला काडर में नियमित आधार पर स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पद धारण कर रहे हैं उन्हें मोटर यातायात कर्मशाला काडर में आमेलन के लिए उनकी अप्रतिसंहार्य विकल्प के प्रयोग के पश्चात् इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त हुआ समझा जाएगा और इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व अपनी-अपनी श्रेणियों में उनकी नियमति निरंतर सेवा को परिवीक्षा अवधि, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, सेवा में पुष्टि और पेंशन के प्रयोजन के लिए गणना की जाएगी ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता : (1)** इन नियमों के अंतर्विष्ट में किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति, जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

(2) शेप-1 से निम्नानुसार परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है:–

(i) कोड अक्षर शेप (एस.एच.ए.पी.ई) जो निम्नलिखित कृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए गए घटकों के अधीन अधिकारी की योग्यता निर्धारित करने के पश्चात्, चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण :–

एस. – मनोवैज्ञानिक

एच. – श्रवण

ए. – उपांग (अपैन्डेजेस)

पी. – शारीरिक क्षमता

ई. – नेत्र दृष्टि

(ii) प्रत्येक घटक के अधीन किसी अधिकारी की कार्यक्षमता प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 तक गिरती कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शायी जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी घटकों मे श्रेणी-I में है, वहां उसका प्रवर्ग एस$_1$एच$_1$ए$_1$पी$_1$ई$_1$ लिखने के बजाए शेप-1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा, इन अंको का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :–

1. कहीं भी सभी कर्त्तव्यों के लिए योग्य ।

2. सभी कर्त्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्त्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आंखो की श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्षणता की मांग से अंतर्ग्रस्त है या नहीं, पर निर्भर करते हुए और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं ।

3. 'एस' घटक को छोड़कर नेमी या निष्क्रिय कर्त्तव्यों के लिए योग्य किन्तु, उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाड़ी भूखंडो पर और लम्बे कर्त्तव्य भार के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं ।

4. अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्त्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य ।

5. कर्त्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य ।

7. प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम.—अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए पात्र व्यक्ति किन्तु पद के लिए विहित पाठ्यक्रम में उसने अर्हता प्राप्त न की हो उसे अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति पर नियुक्त किया जाएगा किन्तु पद पर उसका निरन्तर धारण, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर पाठ्यक्रमों के अर्हक होने के अधीन होगा और इस शिथिलीकरण को दो वर्ष की उक्त अवधि के पूरा होने पर समाप्त हुआ समझा जाएगा ।

8. अधिवर्षिता.—(1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करता है, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा :

परन्तु यह कि वह व्यक्ति, जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी, सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा ।

(2) किसी भी व्यक्ति को सत्तावन वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के पश्चात् सेवा में विस्तार मंजूर नहीं किया जाएगा ।

9. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

10. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।